दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण
२ की साक्ष्य में प्रतिवादी नं. २ स्वयं गोकलाराम,
गवाह अर्जुनराम व मगाराम के शपथ पत्र
प्रस्तुत किये गये। वकील वादीगण द्वारा
जिरह करने से मना किया। जिरह बंद
की जाती है। वकील प्रतिवादी क्रमांक २ अब
कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं।
अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। दोनों
पक्षों की बहस सुनी गयी।

उभय दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की
बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर
उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण ने
अपनी साक्ष्य में तथा प्रतिवादी नं. २ के प्रतिउत्तर
जवाब के सम्बन्ध में किसी प्रकार का जवाब
व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय
राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय
दिनांक 18/11/2015 से दिये गये निर्देशानुसार
सम्बन्धित समान्य हितबद्ध खातेदारों को पक्षकार
बनाया जाकर उन्हें समक्ष सुनवाई का पूर्ण
अवसर प्रदान किया गया। वादीगण द्वारा
माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के
निर्णय दिनांक 18/11/2015 द्वारा इस न्यायालय
के निर्णय दिनांक 09/01/2009 तथा
15/10/2009 को अपास्त किये जाने के
पश्चात अपने वाद पत्र के सम्बन्ध में किसी
प्रकार का जवाब, साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं
की गयी है। प्रतिवादी क्रमांक २ गोकलाराम
द्वारा उक्त वाद पत्र के जवाब में प्रतिवाद
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वक्त सैटलमेंट
से खेत ख.नं. २५६ में रुघा, रुपा, पन्ना पिता
उदा का 1/2 हिस्सा की राशि खातेदारी में दर्ज हुई
थी। इस प्रकार रुपा का अविभाजित हिस्सा 1/6
बनता है जिसके अनुसार रुपा के 1/6 हिस्से में

गोकलाराम
मगाराम
अर्जुनराम

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

केवल मात्र 13-11 बीघा भूमि उनके शेयर में आती
थी। रूपा का देहान्त हो जाने पर रूपा के पुत्र
अमरा का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया
गया तथा अमरा ने अपने 1/6 हिस्सा तादाद
13-11 बीघा भूमि का बेचान करने में सक्षम था,
परन्तु अमरा द्वारा पुरखराज पुत्र अचलदास के
पक्ष में विक्रय 06/03/1973 को किया गया है
वो अमरा पुत्र रूपा ने अपने विधिक हक हिस्से
से अधिक किया गया है जिससे उक्त विक्रय पत्र
प्रारंभ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण
वादीगण का मात्र 1/6 हिस्से के रकबा 13-11 बीघा
भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी है, साथ
ही वादीगण ने पुरखराज के उक्त भूमि खरीद
की है जो पश्चातवर्ती बेचान पत्र है जबकि
प्रारंभिक बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी हो तो
उसके बाद समस्त बेचान स्वयमेव ही शून्य एवं
निष्प्रभावी होते है, ऐसी स्थिति में वादीगण को
उक्त बेचान पत्र के आधार पर किसी प्रकार के
अधिकार पैदा ही नहीं होते है फिर भी वादीगण
के पक्ष में 1/6 हिस्से की घोषणा करवाने के
अधिकारी है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 का भी
1/6 हिस्सा है जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 2 का
कब्जा काश्त है। वादग्रस्त खेत ख.नं. 246 में
प्रतिवादी क्रमांक 2 गोकला का 1/6 हिस्सा
तादाद 13-11 बीघा भूमि आती है जो भूमि
प्रतिवादी क्रमांक 2 अपनी खातेदारी में घोषणा करवाकर
बटवारा करवाने का अधिकारी है प्रतिवादीगण क्रमांक
02 ने अपने स्वाइल के समय पत्र में यह कथन
किया है कि वादग्रस्त खेत कुल ख.नं. 246
रकबा 77-18 बीघा में से प्रतिवादी क्रमांक
2 गोकला का 1/6 हिस्सा तादाद 13-11
बीघा भूमि आती है जिस पर मेरा कब्जा
काश्त है जो मेरे हिस्से में घोषित की जाकर
बटवारा किया जावे। प्रतिवादी नं. 2 के

M

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) ...

में जारी हु

गवाह DW-2 शेकुलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी नोरवावा खुर्द ने एवं DW-3 गवाह माणक पुत्र भोलाराम कौम माली निवासी नोरवावा खुर्द ने भी अपने शपथ पत्र में यह कथन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 गोकलाराम की उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें गोकला का 1/6 हिस्सा है तथा इस 1/6 हिस्से की भूमि पर गोकला काबिज है, गोकला ने अपने कब्जे अनुसार तरक्की भी की है। रहवासी ढाणी, चारदीवारी बने हुए हैं। गोकला अपने 1/6 हिस्से की भूमि खातेदारी में घोषणा करवाने व बंटवारा करवाने का अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 गोकला उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड खातेदार है। इसके अलावा भी प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 मौजा नोरवावा खुर्द के खसरा नंबर 246 रकबा 77-18 बीघा के खातेदारों दर्ज है तथा 1/6 हिस्सा अंकित है। वादीगण द्वारा बावजूद अवसर व अपने अधिवक्ता की उपस्थिति प्रतिवादीगण क्रमांक 2 के काउन्टर क्लेम का किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 2 गोकलाराम का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर अमरा पुत्र रामा द्वारा दिनांक 06/03/1973 को पुखराज पुत्र अचलदास के पक्ष में निष्पादित अपने हिस्से 1/6 तादादी 13-11 बीघा भूमि के अधिक किया गया बेचान निष्प्रभावी किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 2 गोकलाराम को उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा मौजा नोरवावा खुर्द के कुल रकबा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) [illegible]

नम्बर 246 रकबा 77-18 बीघा भूमि
में 1/6-1/6 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट
घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण
के मध्य वादी किस्म एवं बाउण्डस बंटवारा
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौके
का विभाजन तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा
करे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन
करेंगे। इसी प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।
पत्रावली निर्णय उपरान्त होकर दाखिल दफ्तर
हो। किन्तु प्रस्ताव प्राप्त होने पर
पत्रावली पुनः पेश की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 04/10/17
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

प्राथमिक डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास **श्री नाथूसिंह राठौड़** आर.ए.एस.

वादीगण

1. कानाराम पुत्र लुम्बाराम
2. हरजी पुत्र कानाराम
3. डूंगरा पुत्र कानाराम
   जाति जाट निवासी मोखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामकेन पुत्र प्रतापा के कायम मुकाम
   1/1 मोहनलाल पुत्र रामकेन
   1/2 रूगनाथ पुत्र रामकेन
   1/3 गोरखा पुत्र रामकेन
   जाति विश्नोई निवासी मोखाबा खुर्द
2. गोकला पुत्र माना
3. पूनमा पुत्र निम्बा के कायम मुकाम
   3/1 भंवरा पुत्र पूनमाराम
   3/2 रमकू पत्नी पूनमाराम
4. भोमा पुत्र निम्बा
5. पैलाद पुत्र निम्बा के कायम मुकाम
   5/1 जोगा पुत्र पैलाद
   5/2 सती पत्नी पैलाद
   5/3 मेघा पुत्र पैलाद
   जाति माली निवासी मोखाबा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
6. कमला पत्नि गोरखाराम जाति विश्नोई निवासी मौखाबा खुर्द
7. धापू पत्नि अर्जुनराम
   जाति जाट निवासी मोखाबा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
8. तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 370/2004 **निर्णय दिनांक** : 04.10.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण व हाजरी श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 02 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर अमरा पुत्र रूपा द्वारा दिनांक 06.03.1973 को पुखराज पुत्र अचलदास के पक्ष में निस्पादित अपने हिस्से 1/6 अर्थात 13–11 बीघा भूमि से अधिक का किया गया बेचान निष्प्रभावी किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 गोकलाराम को उक्त वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मोखावा खुर्द के मूल खसरा नम्बर 246 रकबा 77-18 बीघा भूमि में 1/6 1/6 हिस्से [illegible]

...या जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा ... जाने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/10/17 को

जारी की गई।

मुहर

(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी

क्रमांकः वाचक/2017/ 2181

दिनांक : 04-10-2017

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुड़ामालानी